सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या – 415 राँची, मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2022

सं०सं०: 12/कोर्ट-05-04/2021 का. 4212--श्री सुनील कुमार (सेवानिवृत्त), तत्कालीन प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनकी नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक-01.09.2009, संकल्प संख्या-1779/वि०, दिनांक-21.05.2014 एवं पत्रांक-361/वि०, दिनांक-08.02.2016 में निहित प्रावधानो के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई सशर्त अनुशंसोपरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-V में अंकित तिथि से देय वेतनमान में तृत्तीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नरूपेन प्रदान की जाती है:-

क्र०	नाम/पदनाम/विभाग GPF No.	जन्मतिथि/ सेवानिवृति तिथि	योगदान/सम्पुष्टि तिथि	तृत्तीय वित्तीय उन्नयन
i	ii	iii	iv	v
	श्री सुनील कुमार, से०नि० प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची। PTS/MED-128	15.12.1961 31.12.2021	07.09.1991 01.06.1997	एम०ए०सी०पी० के तहत तृत्तीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान-3, 15600-39100, ग्रेड वेतन- 7600 (पुनरीक्षित **Pay Matrix Level-12)** में दिनांक-**07.09.2021** के प्रभाव से।

2. उपर्युक्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नांकित शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(क) यदि प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ के फलस्वरूप वेतन/पेंशन निर्धारण के क्रम में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज किए जाने के स्थिति में प्रदत्त वित्तीय उन्नयन में एतदनुरूप संशोधन किया जाएगा ।

(ख) श्री कुमार की नियुक्ति तिथि से देय वित्तीय उन्नयन की तिथि तक नियमित सेवा सत्यापित रहने के उपरांत ही स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग के द्वारा किया जायेगा ।

(ग) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

(घ) प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी ।

3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित कर्मी के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा ।

4. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चत्तर वेतनमानग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान का संरक्षण देय नहीं होगा ।

5. यह आदेश वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक-01.09.2009 एवं 1779/वि० दिनांक-21.05.2014 एवं पत्रांक-361/वि०, दिनांक-08.02.2016 के परिपत्रानुसार प्रभावी होगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा।

6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चत्तर वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों आदि के लिए वे अपने मौलिक वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ।

7. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

8. उक्त प्रस्ताव पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 415 – 50